छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formely Kanpur University, Kanpur)

Kalyanpur, Kanpur-208024

कल्यानपुर, कानपुर–208024

परीक्षा समिति की 9वीं बैठक दिन शनिवार, दिनांकः 20.08.2022

कार्यवृत्त

आज दिनांक 20.08.2022, दिन शनिवार को सायं 04:30 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि.,कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य/प्रति कुलपति, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
3.	डा0 (श्रीमती) शिप्रा वी. श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर।	सदस्या
4.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो. सुधान्शु पाण्ड्या, डीन, प्रशासन, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो.अंशु यादव, आचार्य, आई.बी.एम.,विभाग,सी.एस.जे.एम.वि0वि0, कानपुर।	सदस्या
7.	डा0 अशोक कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, जनता कालेज, बकेवर, इटावा	सदस्य
8.	प्रो0(श्रीमती) रोली शर्मा, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्या
9.	डा0 मृदुलेश सिंह, एसो0 प्रोफेसर, आई.बी.एम, विभाग सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ0 पतंजलि मिश्रा, एसो0 प्रोफेसर, सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
11.	डा0 जोसेफ डेनियल, प्राचार्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर।	सदस्य
12.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
13.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	कुलसचिव
14.	डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि.,कानपुर।	पदेनसचिव
	विशेष आमंत्रित सदस्य	
1.	डॉ0 रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर	विशेष आमंत्रित सदस्य
2.	डॉ. आर.के. द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी.,सी.एस.जे.एम. वि.वि.,कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	डॉ0 सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम.वि.वि.,कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये–

मद सं0–2022.09.01

परीक्षा समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 27.04.2022 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय

परीक्षा समिति की पूर्व में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 27.04.2022 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से सम्पुष्टिकरण किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0—2022.09.02

विश्वविद्यालय सत्र 2021—22 की परीक्षाओं हेतु नोडल/परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों के वितरण प्रणाली का अनुमोदन।

निर्णय

विश्वविद्यालय सत्र 2021—22 की परीक्षाओं हेतु नोडल/परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों के वितरण प्रणाली का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0—2022.09.03

विश्वविद्यालय की स 2021—22 की परीक्षा हेतु नोडल/परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों को जी.पी.एस.—डिजिटल लॉक की सुरक्षा में संरक्षित किये जाने का अनुमोदन।

निर्णयः

विश्वविद्यालय की स 2021—22 की परीक्षा हेतु नोडल/परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों को जी.पी.एस.—डिजिटल लॉक की सुरक्षा में संरक्षित किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0—2022.09.04

सत्र 2021—22 की विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं को नकलविहीन व शुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा समस्त परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण मण्डल नियुक्त किये जाने एवं संलग्न प्रारूप पर निरीक्षण मण्डल से प्रतिदिन आख्या प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाने का अनुमोदन।

निर्णयः

सत्र 2021—22 की विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं को नकलविहीन व शुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा समस्त परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण मण्डल नियुक्त किये जाने एवं संलग्न प्रारूप पर निरीक्षण मण्डल से प्रतिदिन आख्या प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0—2022.09.05

विश्वविद्यालय की सत्र 2021—22 की सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के डिज़िटल इवैलुएशन प्रोसेज़ एवं डिज़िटल इवैलुएशन केन्द्रों के निर्धारण पर अनुमोदन।

निर्णयः

विश्वविद्यालय की सत्र 2021—22 की सम्पन्न परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के डिज़िटल इवैलुएशन प्रोसेज़ एवं डिज़िटल इवैलुएशन केन्द्रों के निर्धारण का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0—2022.09.06

चुनौती मूल्यांकन के घोषित परीक्षा परिणाम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं द्वारा चुनौती मूल्यांकन हेतु किये गये आवेदन के सापेक्ष नियमानुसार घोषित किये गये परीक्षा परिणाम का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.07

विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की सम्पन्न सम सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी एवं केन्द्र निर्धारण का अनुमोदन।

निर्णयः

विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की सम्पन्न सम सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी एवं केन्द्र निर्धारण का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.08

मौखिकी/प्रायोगिकी परीक्षाओं हेतु परीक्षक/विषय विशेषज्ञ के नामितिकरण/नियुक्ति एवं प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सी0ओ0ई0 /2787/2022, दिनांक–26.05.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/ सी0ओ0ई0 /2897/2022, दिनांक–17.06.2022 की प्रकिया का अनुमोदन।

निर्णयः

मौखिकी/प्रायोगिकी परीक्षाओं हेतु परीक्षक/विषय विशेषज्ञ के नामितिकरण/नियुक्ति एवं प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सी0ओ0ई0 /2787/2022, दिनांक–26.05.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/ सी0ओ0ई0 /2897/2022, दिनांक–17.06.2022 की प्रकिया का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.09

सत्र 2021–22 की स्नातक एवं परास्नातक में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

सत्र 2021–22 की स्नातक परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से छात्र/छात्राओं द्वारा 75 प्रश्नों के उत्तर के सापेक्ष 100 पूर्णांक तथा परास्नातक परीक्षा में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में छात्र/छात्राओं को 50 प्रश्न उत्तर देने के सापेक्ष 100 पूर्णांक के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.10

बी.ए.एलएल.बी. सेमेस्टर (तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम,) एलएल.बी.– सेमेस्टर (तृतीय, पंचम) बी.एड./ एम.एड के द्वितीय वर्ष एवं बी.पी.एड./ एम.पी.एड. सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ) के घोषित परीक्षा कार्यकम के अनुसार वस्तुनिष्ठ माध्यम से सम्पन्न करायी गयी परीक्षा का अनुमोदन।

निर्णयः

बी.ए.एलएल.बी. सेमेस्टर (तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम,) एलएल.बी.– सेमेस्टर (तृतीय, पंचम) बी.एड./ एम.एड के द्वितीय वर्ष एवं बी.पी.एड./ एम.पी.एड. सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ) के घोषित परीक्षा कार्यकम के अनुसार वस्तुनिष्ठ माध्यम से सम्पन्न करायी गयी परीक्षा का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.11

विश्वविद्यालय सत्र 2022–23 की (NEP) एवं विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के सभी विषयों की परीक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन एवं (NEP) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत Co-Curricular Course विषय की आब्जेक्टिव एवं अन्य समस्त विषयों के पाठ्यक्रमों की परीक्षा पैटर्न पर विचार।

निर्णयः

विश्वविद्यालय सत्र 2022–23 की (NEP) एवं विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के सभी विषयों की परीक्षा नवम्बर, 2022 के प्रथम सप्ताह से कराये जाने एवं (NEP) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत Co-Curricular Course विषय की परीक्षा आब्जेक्टिव पैटर्न एवं अन्य समस्त विषयों के पाठ्यक्रमों की परीक्षा सब्जेक्टिव पैटर्न पर कराये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.12

एन.ई.पी.–2020 के अन्तर्गत सत्र 2021–22 माह फरवरी/मार्च, 2022 में सम्पन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के मध्य प्राप्त शिकायत के आधार पर जनपद–औरैया के 10 महाविद्यालयों के परीक्षाफल रोके जाने के आदेश माननीय कुलपति जी द्वारा निर्गत किये गये थे, तद्नुक्रम में सन्दर्भित महाविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित नहीं किये गये थे, किंतु आगामी परीक्षा के दृष्टिगत छात्रहित में सम्बन्धित महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को न्यूनतम अंक प्रदान कर परीक्षा परिणाम घोषित कर सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गयी, के सम्बन्ध पर विचार।

निर्णयः

एन.ई.पी.–2020 के अन्तर्गत सत्र 2021–22 माह फरवरी/मार्च, 2022 में सम्पन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के मध्य प्राप्त शिकायत के आधार पर जनपद–औरैया के 10 महाविद्यालयों के परीक्षाफल रोके जाने के आदेश माननीय कुलपति जी द्वारा निर्गत किये गये थे, तद्नुक्रम में सन्दर्भित महाविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित नहीं किये गये थे, किंतु आगामी परीक्षा के दृष्टिगत छात्रहित में मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति (प्रो0 सुधीर अवस्थी, डीन स्टूडेन्ट्स वेलफेयर, डॉ0 आर0 के0 द्विवेदी, निदेशक, सी0डी0सी0 एवं प्रो0 सुधांशु पाण्डिया, डीन प्रशासन) की बैठक दिनांक– –23.04.2022 द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को अधिकतम 35 अंक प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तद्नुरूप सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गयी थी, के सम्बन्ध समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही एन.ई.पी.–2020 के अन्तर्गत सत्र 2021–22 माह फरवरी/मार्च, 2022 में सम्पन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.13

परीक्षा समिति 10.06.22021 के आहूत बैठक मद संख्या–23(ii) के निर्णय के आलोक में स्पेशल बैक कराये जाने के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 लखनऊ एवं बार काउंसिल आफ इंडिया को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया, किंतु आख्या अद्यतन प्राप्त न होने के कारण एल0एल0बी0, बी0ए0एलएल0बी0, बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, एम0पी0एड0 को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों का स्पेशल बैक पेपर कराये जाने पर अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

परीक्षा समिति 10.06.22021 के आहूत बैठक मद संख्या–23(ii) के निर्णय के आलोक में स्पेशल बैक कराये जाने के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 लखनऊ एवं बार काउंसिल आफ इंडिया को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया, किंतु आख्या अद्यतन प्राप्त न होने के कारण एल0एल0बी0, बी0ए0एलएल0बी0, बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, एम0पी0एड0 को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों का स्पेशल बैक पेपर कराये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा एल0एल0बी0, बी0ए0एलएल0बी0, बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, एम0पी0एड0 के यदि जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त परीक्षा हेतु फार्म सब्मिशन कर दिया गया है, उनका विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार शुल्क वापस किये जाने का भी समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.14

बी0एड0, बी0पी0एड0, एल0एल0एल0बी0, बी0ए0एलएल0बी0 एवं बी0एस0–सी0 (कृषि) एवं एम0एस–सी0 (कृषि) की ओ0एम0आर0 शीट अद्यतन अप्राप्त होने के दृष्टिगत ऐसे छात्र/छात्राओं को उन प्रश्नपत्रों में एवरेज अंक प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के सत्र 2021–22 की सम्पन्न परीक्षा से सम्बन्धित महाविद्यालय की ओ0एम0आर शीट कोडिंग विभाग को प्राप्त न होने के प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के क्रम में तीन सदस्यीय जॉच समिति गठित की गयी। जॉच समिति की आख्या निम्नलिखित है:–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0एस–सी0 (कृषि) पंचम सेमेस्टर एवं बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षायें पूर्व में माह फरवरी/ मार्च में सम्पन्न करायी गयी थीं, जिनकी परीक्षा उपरान्त ओ0एम0आर0 शीट डाक के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाती हैं। परीक्षा केन्द्र वी0जी0एम0 कालेज, औरेया (AU03) के बी0एस–सी0 (कृषि) पंचम सेमेस्टर (AU24) एवं (KD06), बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर (AU03), (AU04), (AU11), (AU15), (AU18), (AU20), (AU45) एवं (AU03), एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर (AU35) एवं (AU36) तथा बी0पीएड0 (KD06) महाविद्यालयों की ओएम0आर0 शीट विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हुयी।
2. उत्तर पुस्तिकाओं/ओ0एम0आर0 शीट की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में चीफ पोस्ट मास्टर, कानपुर नगर को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– सी0एस0जे0एम0वि0वि0/COE/3024/2022,दिनांक–11.07.2022 द्वारा उक्त ओ0एम0आर0 के कन्साइनमेन्ट नं0/ट्रैकिंग आई0डी0 की अद्यतन स्थिति से विश्वविद्यालय को दो कार्यदिवसों में अवगत कराने एवं उक्त पार्सल को अतिशीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।
3. भारतीय डाक विभाग, कार्यालय चीफ पोस्ट मास्टर, कानपुर प्र0.डा0 कानपुर–208001 के पत्रांक–आर.आर. सी/101/सामान्य/2022–23/केपीएचओ कानपुर दिनांक–12.07.2022 का पत्र जो कि अधीक्षक रेल डाक व्यवस्था के.पी. मण्डल कानपुर को सम्बोधित है व परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय को सूचनार्थ है, मे अवगत कराया गया है कि उक्त ओ0एमआर0 से सम्बन्धित कन्साइनमेन्ट दिनांक–03.04.2022 को वी0जी0एम0 कालेज, दिबियापुर, औरेया द्वारा दिबियापुर उप डाकघर से स्पीड पोस्ट द्वारा बुक किये गये थे, जो कि विश्वविद्यालय कानपुर में वितरित नहीं हुये हैं।

   उक्त तीनों आर्टिकल दिनांक–03.04.2022 को दिबियापुर उप डाकघर द्वारा कानपुर एन.एस.एच. के लिये प्रेषित किये गये थे, जो कि एम.ए. इटावा आर.एम.एस. द्वारा दिनांक–03.04.2022 को प्राप्त हुआ तथा उसी दिन डिस्पैच कर दिया गया। सैप ट्रैकिंग में अग्रिम कोई निस्तारण उपलब्ध नहीं है, जिसके सम्बन्ध में शीघ्र जॉच आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। जिसका पुनः अनुस्मारक भारतीय डाक विभाग, कार्यालय चीफ पोस्ट मास्टर, कानपुर प्र0.डा0 कानपुर–208001 के पत्रांक–आर.आर.सी/10/सामान्य/2022–23/केपीएचओ कानपुर दिनांक–15.07.2022 को आख्या हेतु प्रेषित किया गया था।
4. चीफ पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर कानपुर के पत्रांक–अ.शा. पत्र सं. बी.डी./सी.एस.जे.एम.यू./केपीएचआ/2021–22 दिनांक–16.07.2022 का पत्र जो कि रवि कुमार एस.आर.एम. "केपी" मण्डल को सम्बोधित है व परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय को सूचनार्थ है, मे आख्या हेतु प्रेषित किया गया था। (संलग्न–5)

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या अद्यतन अप्राप्त है।

समिति द्वारा उपरोक्त समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया तथा छात्र/छात्राओं की अगली कक्षाओं की परीक्षाओं के दृष्टिगत समिति का यह अभिमत है कि उपरिलिखित महाविद्यालयों के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनकी ओ0एम0आर0 शीट डाक विभाग से अद्यतन अप्राप्त हैं, का परीक्षा परिणाम छात्रहित में औसत अंक प्रदान करते हुये घोषित किया जा सकता है। डाक विभाग से आख्या/ओ0एम0आर0 शीट प्राप्त होने पर पुनः विचार किया जा सकता है।

उक्त के क्रम में समिति द्वारा पुनः बैठक की गयी, जिसकी आख्या निम्नवत है:–

1. भारतीय डाक विभाग, कार्यालय चीफ पोस्ट मास्टर, कानपुर प्र0.डा0 कानपुर–208001 के पत्रांक–बी.डी./सी.एस.जे. एम.यू./केपीएचओ/2021–22 दिनांक–19.07.2022 का पत्र जो कि अधीक्षक रेल डाक व्यवस्था के.पी. मण्डल कानपुर–208001 को सम्बोधित है व परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय को सूचनार्थ है, मे अवगत कराया गया है कि दिनांक–16.07.2022 के पत्र के अनुसार आख्या उनको न प्राप्त होने के सम्बन्ध में अप्रसन्नता प्रकट करते हुये प्रगति रिपोर्ट/जॉच आख्या उनके कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।
2. भारतीय डाक विभाग, कार्यालय चीफ पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर कानपुर कानपुर–208001 के पत्रांक–बी.डी./सी. एस.जे.एम.यू./केपीएचओ/2021–22 दिनांक–26.07.2022 का पत्र जो कि परीक्षा नियंत्रक छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को सम्बोधित है, मे अवगत कराया गया है कि अधीक्षक, रेल डाक व्यवस्था "केपी" मण्डल, कानपुर ने मामले की जॉच सहायक अधीक्षक–। तथा मैनेजर नेशनल सार्टिंग हब (NSH), कानपुर से करायी और जॉचोपरान्त उन्होंनें अपने पत्रांक D5-48/CSJM/2022-2023, दिनांक–26.07.2022 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उपरोक्त डाक वस्तुओं के निस्तारण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

समिति द्वारा उपरोक्त समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व बैठक दिनांक–16.07.2022 में लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

उपरोक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा समिति की आख्या का अवलोकन करते हुये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परीक्षार्थी को सर्वाधिक अंक प्राप्त विषय के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.15

एम.बी.बी.एस. प्रथम प्रॉप के एनाटॉमी के प्रश्नपत्र में पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्णांक 50 तथा नये पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्णांक 100 मुद्रित होने थे, परन्तु विगत में सम्पन्न हुयी एम.बी.बी.एस. प्रथम प्रॉप के एनाटॉमी (नये पाठ्यक्रम) की परीक्षा के प्रश्नपत्र में टाइपिंग त्रुटि के कारण पूर्णांक 100 के स्थान पर 50 अंकित हो गया था एवं तदनुसार ऑन–लाईन डिज़िटल मूल्यांकन भी सम्पन्न हो गया है। अतः पूर्णांक 100 मानते हुये प्राप्तांक को दो गुना करके परीक्षाफल घोषित किये जाने का अनुमोदन।

निर्णयः

एम.बी.बी.एस. प्रथम प्रॉप के एनाटॉमी के प्रश्नपत्र में पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्णांक 50 तथा नये पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्णांक 100 मुद्रित होने थे, परन्तु विगत में सम्पन्न हुयी एम.बी.बी.एस. प्रथम प्रॉप के एनाटॉमी (नये पाठ्यक्रम) की परीक्षा के प्रश्नपत्र में टाइपिंग त्रुटि के कारण पूर्णांक 100 के स्थान पर 50 अंकित हो गया था एवं तदनुसार ऑन–लाईन डिज़िटल मूल्यांकन भी सम्पन्न हो गया है। अतः पूर्णांक 100 मानते हुये प्राप्तांक को दो गुना करके परीक्षाफल घोषित किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.16

सत्र 2021–22 की M.Sc Ag./B.Sc. Ag., B.PED. ,MPED., B.ED., BCA, BBA, एवं पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के Odd Semester के छात्र/छात्राओं को उनके लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के एवरेज अंक देकर घोषित परीक्षा परिणाम का अनुमोदन।

निर्णयः

सत्र 2021–22 की M.Sc Ag./B.Sc. Ag., B.PED. ,MPED., B.ED., BCA, BBA, एवं पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के Odd Semester के छात्र/छात्राओं को उनके लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के औसत अंक देकर घोषित परीक्षा परिणाम का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.17

(क) **एन.ई.पी.–2020 स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कुछ महाविद्यालयों में त्रुटिवश छात्र/छात्राओं के मेजर और माइनर विषय आपस में परिवर्तित हो गये थे, उसे सही कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का अनुमोदन।**

निर्णयः

एन.ई.पी.–2020 स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कुछ महाविद्यालयों में त्रुटिवश छात्र/छात्राओं के मेजर और माइनर विषय आपस में परिवर्तित हो गये थे। अतः प्रथम त्रुटि मानते हुये बिना किसी किसी अर्थदण्ड उसे सही कर घोषित किये गये परीक्षा परिणाम का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) **एन.ई.पी.–2020 के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से किसी भी एक सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का अध्ययन करना निर्धारित है। कुछ महाविद्यालयों द्वारा त्रुटिवश सत्र 2021–22 के प्रथम सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का चयन करते हुये परीक्षा फार्म का सब्मिशन किया गया, परन्तु महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं को न तो उक्त माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया गया और न ही छात्र/छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें सम्बन्धित छात्र/छात्राएँ माइनर सब्जेक्ट में अनुपस्थित प्रदर्शित हो रहे हैं। अतः प्रथम सेमेस्टर से माइनर सब्जेक्ट को डिलीट कर द्वितीय सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट के चयन किये जाने का अवसर प्रदान करने पर विचार।**

निर्णयः

एन.ई.पी.–2020 के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से किसी भी एक सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का अध्ययन करना निर्धारित है। कुछ महाविद्यालयों द्वारा त्रुटिवश सत्र 2021–22 के प्रथम सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का चयन करते हुये परीक्षा फार्म का सब्मिशन किया गया, परन्तु महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं को न तो उक्त माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया गया और न ही छात्र/छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें सम्बन्धित छात्र/छात्राएँ माइनर सब्जेक्ट में अनुपस्थित प्रदर्शित हो रहे हैं। अतः प्रथम त्रुटि मानते हुये बिना किसी किसी अर्थदण्ड के प्रथम सेमेस्टर से माइनर सब्जेक्ट को डिलीट कर द्वितीय सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट के चयन किये जाने का अवसर प्रदान करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.18

NEP-2020 के अन्तर्गत कुछ महाविद्यालय द्वारा प्रयोगिक परीक्षा के इण्टरनल अंक 75 के स्थान पर 25 पूर्णाक मानकर भर दिये गये थे, उन्हे समानुपातिक रूप में बढ़ाकर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णयः

NEP-2020 के अन्तर्गत कुछ महाविद्यालय द्वारा प्रयोगिक परीक्षा के इण्टरनल अंक 75 के स्थान पर 25 पूर्णाक मानकर भर दिये गये थे, उन्हे समानुपातिक रूप में बढ़ाकर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.19

बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं एम0बी0बी0एस0 वर्ष 2021 के परीक्षार्थियों को मा0 न्यायालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर परीक्षा कराये जाने के आदेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के पत्रांक सीएसजेएमयू/वीसीसी/237/2021 दिनांक 29.10.2021 एवं अनुस्मारक पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/ COE/2813/2022, दिनांक–01.06.2022 द्वारा दिनांक –21 सितम्बर 2021 को आयोजित विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक के मद संख्या – 2021.05.11 में सत्र 2020–21 में पैरामेडिकल/ एम.बी.बी.एस./ बी.ए.एम.एस./ बी.यू.एम.एस. के ऐसे छात्र जिनका स्क्रूटिनी/ चुनौती मूल्याकंन/पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें आगामी परीक्षा में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत सत्र नियमित करने के उद्देश्य से अस्थाई तौर पर प्रतिभाग कराने के निर्णय के बारे में अवगत कराते हुए आपसे निर्देश माँगा गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में सत्र 2020–21 एवं सत्र 2021–22 में ऐसे छात्र/छात्राओं के सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/ प्राचार्या द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि उक्त छात्र/छात्राओं के अगले मुख्य व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने हेतु छात्र/छात्राओं का उनके पाठ्यक्रम के नियत्रंक परिषद के विनियम के अनुसार कक्षाओं में उपस्थिति, पाठ्यक्रम एवं अन्य अनुषांगिक कार्य पूर्ण करा लिये गये है एवं छात्र/छात्रायें अगले मुख्य व्यवसायिक परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह हैं, सिवाय इसके कि उनका स्क्रूटिनी/चुनौती मूल्यांकन/पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, छात्र/छात्राओं को अस्थाई तौर पर अगले मुख्य व्यवसायिक परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान किया गया है कि इस मुख्य व्यवसायिक परीक्षा का परिणाम तभी घोषित किया जायेगा, जब छात्र/छात्राएं अपने पूर्व के स्क्रूटिनी/चुनौती मूल्याकंन/पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में अगली दी गयी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दशा में पुनः अगली परीक्षा सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु साथ ही पूर्व की स्क्रूटिनी/चुनौती मूल्याकंन/पूरक परीक्षा के बैक पेपर/पूरक परीक्षा उत्त्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा के मुख्य अभ्यार्थियों का परीक्षा परिणाम नियमानुसार घोषित किया जा चुका है।

सूच्य है कि आप द्वारा उक्त वांछित दिशा निर्देश अद्यतन अप्राप्त होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण तत्सम्बन्धित छात्रों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रमशः रिट याचिका संख्या–17686/2022 पार्थवी सिंह एवं 07 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 04 अन्य, रिट याचिका संख्या–21125/2022 आयुशी श्रीवास्तव एवं 11 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 04 अन्य व रिट याचिका संख्या--21126/2022 प्रभात कुमार तिवारी एवं 7 अन्य योजित की गयी। याचिकाकर्ताओं द्वारा मा0 न्यायालय से निवेदन किया गया है कि एम0बी0बी0एस0 फाइनल पार्ट–1 पाठ्यक्रम में औपबन्धिक रूप से उपस्थित हुये परीक्षार्थियों की सम्पन्न परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करते हुये अगली एम0बी0बी0एस0 फाइनल परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को आदेशित करने का कष्ट करें।

अतः उक्त योजित याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 फाइनल पार्ट–1 पाठ्यक्रम में औपबन्धिक रूप से उपस्थित हुये परीक्षार्थियों की सम्पन्न परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करते हुये अर्ह छात्रों को अगली एम0बी0बी0एस0 फाइनल परीक्षा में सम्मिलित किया जाय (आदेश की प्रति संलग्न)। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा एम0बी0बी0एस0 फाइनल पार्ट–1 पाठ्यक्रम में औपबन्धिक रूप से उपस्थित हुये परीक्षार्थियों की सम्पन्न परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करते हुये अर्ह छात्रों को अगली एम0बी0बी0एस0 फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गयी है, के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.20

एम.बी.बी.एस.–अन्तिम वर्ष भाग–2 के छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जाना एवं तद्नुसार परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णयः
एम.बी.बी.एस.–अन्तिम वर्ष भाग–2 के छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जाना एवं तद्नुसार परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.21

परीक्षा केन्द्र–बी.ए.के.पी. कालेज, लखीमपुर खीरी (एल.एम.–02) पर दिनांक 28.05.2022 की एम.ए.(द्वितीय वर्ष) अर्थशास्त्र–प्रथम प्रश्नपत्र की स्थगित परीक्षा को सम्पन्न करा लेने के कारण अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र का पुनः निर्माण कराकर समस्त केन्द्रों पर दिनांक 09.06.2022 को सम्पन्न परीक्षा के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः
परीक्षा केन्द्र–बी.ए.के.पी. कालेज, लखीमपुर खीरी (एल.एम.–02) पर दिनांक 28.05.2022 की एम.ए.(द्वितीय वर्ष) अर्थशास्त्र–प्रथम प्रश्नपत्र की स्थगित परीक्षा को सम्पन्न करा लेने के कारण अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र का पुनः निर्माण कराकर समस्त केन्द्रों पर दिनांक 09.06.2022 को सम्पन्न करायी गयी परीक्षा का समिति द्वारा सर्म्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.22

परीक्षा केन्द्र–बी.एन.डी. कालेज, माल रोड, कानपुर (के.एन.–05) पर दिनांक 28.05.2022 की सुबह की पाली की परीक्षा के पूर्व स्ट्रॉग रूम में आग लग जाने के कारण प्रश्नपत्र जलने की सूचना प्राप्त हुयी, तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को पुनः प्रश्नपत्र भेजकर सम्पन्न परीक्षा के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः
परीक्षा केन्द्र–बी.एन.डी. कालेज, माल रोड, कानपुर (के.एन.–05) पर दिनांक 28.05.2022 की सुबह की पाली की परीक्षा के पूर्व स्ट्रॉग रूम में आग लग जाने के कारण प्रश्नपत्र जलने की सूचना प्राप्त हुयी, तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को पुनः प्रश्नपत्र भेजकर सम्पन्न करायी गयी परीक्षा का समिति द्वारा सर्म्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.23

छात्रा मोना जायसवाल बी0एड0 प्रथम वर्ष अनुक्रमांक–1736465 डी0जी0 कालेज, कानपुर के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के अनुसार उत्तर पत्र (ओ0एम0आर0) का पुर्नमूल्यांकन करके अंकपत्र संशोधित किये जाने पर विचार।

निर्णयः
छात्रा मोना जायसवाल बी0एड0 प्रथम वर्ष अनुक्रमांक–1736465 डी0जी0 कालेज, कानपुर के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के अनुसार उत्तर पत्र (ओ0एम0आर0) का पुर्नमूल्यांकन करके अंकपत्र संशोधित किये जाने का समिति द्वारा सर्म्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.24

(क) **छात्र–नाज़िम शेर खान ने सत्र 2016–17 में बी.एससी. की परीक्षा उत्तीर्ण की परन्तु पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में अनुपस्थित रहा। छात्र सत्र 2021–22 की पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, जिसका परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। छात्र का चयन उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पन्न परीक्षा में अर्ह पाये जाने पर उनके अभिलेख का सत्यापन किया जाना है। अतः छात्र नाज़िम शेर खान के पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा का घोषित परिणाम के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णयः

छात्र–नाज़िम शेर खान ने सत्र 2016–17 में बी.एससी. की परीक्षा उत्तीर्ण की परन्तु पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में अनुपस्थित रहा। छात्र सत्र 2021–22 की पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, जिसका परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। छात्र का चयन उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पन्न परीक्षा में अर्ह पाये जाने पर उनके अभिलेख का सत्यापन किया जाना है। अतः छात्र नाज़िम शेर खान के पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा का घोषित परिणाम का समिति द्वारा सर्म्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) **छात्र सूरज सिंह सत्र 2021–22 बी0ए0 तृतीय वर्ष, अनुक्रमांक–6096683 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ। उक्त छात्र ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसका चयन सी0डी0एस0 में हो गया है। अतएव उसका परीक्षा परिणाम घोषित करते हुये अंकपत्र प्रदान कर दिया जाये, जिसके क्रम में आदेशानुसार रू0 5000/– का शुल्क विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा कराते हुये परीक्षा परिणाम घोषित करते हुये प्रोविजनल अंकपत्र सम्बन्धित को प्रेषित कर दिया गया है, के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णयः

छात्र सूरज सिंह सत्र 2021–22 बी0ए0 तृतीय वर्ष, अनुक्रमांक–6096683 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ। उक्त छात्र ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसका चयन सी0डी0एस0 में हो गया है। अतएव उसका परीक्षा परिणाम घोषित करते हुये अंकपत्र प्रदान कर दिया जाये, जिसके क्रम में आदेशानुसार रू0 5000/– का शुल्क विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा कराते हुये परीक्षा परिणाम घोषित करते हुये प्रोविजनल अंकपत्र सम्बन्धित को प्रेषित कर दिया गया है, के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.25

छात्र श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रबली सिंह, सहायक अध्यापक संस्कृत के स्नातक परीक्षा में अंकों में अन्तर को स्पष्ट करने के प्रकरण में गठित समिति की आख्या पर विचार।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या संख्या सी.एस.जे.एम.वि.वि./आर.कैम्प/727/2022 दिनाँक 17.05.2022 के द्वारा श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रबली सिंह, सहायक अध्यापक संस्कृत के स्नातक परीक्षा में अंको में अन्तर को स्पष्ट करने के प्रकरण मे गठित समिति की आख्या का परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.26

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / COE / 3114 / 2022, दिनांक–02.08.2022, द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–10875 / 2022, इन्द्रजीत बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जो कि याची द्वारा की बी0ए0 प्रथम वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत किये जाने एवं लम्बित प्रत्यावेदन दिनांक– 26.03.2022 को निस्तारित किये जाने हेतु योजित है।) के अनुक्रम में तथ्यों की जॉच हेतु गठित समिति की बैठक की आख्या पर निर्णय लिये जाने हेतु विचारार्थ।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / COE / 3114 / 2022, दिनांक–02.08.2022, द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–10875 / 2022, इन्द्रजीत बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जो कि याची द्वारा की बी0ए0 प्रथम वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत किये जाने एवं लम्बित प्रत्यावेदन दिनांक– 26.03.2022 को निस्तारित किये जाने हेतु योजित है।) के अनुक्रम में तथ्यों की जॉच हेतु गठित समिति की बैठक की आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेते हुये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जो निम्नवत है:–

1. प्रो0 सुधांशु पाण्डिया, डीन एकेडमिक, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
2. डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त समिति से यह अपेक्षा की गयी है कि प्रकरण की गोपनीय आख्या तीन कार्यदिवसों में उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0–2022.09.27

(क) विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा–2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन कराये जाने हेतु बनाये गये विभिन्न मूल्यांकन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का भुगतान की दर निम्नवत् –

1. **आकस्मिक व्यय के रूप में रू0 4 / –(चार रुपये) मात्र प्रति उत्तरपुस्तिका।**
2. **पूर्व में भौतिक मूल्यांकन हेतु शासनादेश द्वारा स्वीकृत दर से ही उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन का भी भुगतान किया जाना।**
3. **डिजिटल मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर आये परीक्षकों को प्रतिदिन रू0 100 की दर से कन्वेनियन्स एलाउन्स का दिया जाना**
4. **मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी को शासनादेश द्वारा स्वीकृत परीक्षा केन्द्राध्यक्ष हेतु स्वीकृत दर से भुगतान।**

उपरोक्त दर से डिजिटल मूल्यांकन हेतु भुगतान किये जाने का अनुमोदन।

(ख) सत्र 2021–22 हेतु सम्पन्न करायी गयी समस्त परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले कन्टीजेंसी का अनुमोदन पर विचार।

(ग) सत्र 2021–22 की विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं को परीक्षा केन्द्रों पर शुचितापूर्ण, नकलविहीन, ससमय सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र की भांति केन्द्र मानते हुये नोडल केन्द्रों पर नियुक्त नोडल केन्द्र प्रभारी, सहायक नोडल केन्द्र प्रभारी, समूह–ग के कर्मचारी एवं समूह–घ के कर्मचारियों की परीक्षा कार्य हेतु आवश्यकता के अनुरूप मानदेय / देयकों के निर्धारण पर विचार

(घ) मुख्य परीक्षा–2022 से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु कोआर्डिनेटर की नियुक्ति एवं उनके मानदेय / पारिश्रमिक पर विचार।

परीक्षा समिति की सामान्य बैठक सं0–3 / 2021 दिनांक–10.06.2021 के मद संख्या–4, वित्त समिति की बैठक दिनांक–09.07.2021 के मद संख्या– 09 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक–12.07.2021 के मद संख्या–4.3 के निर्णय में मुख्य परीक्षा–2021 से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु कोआर्डिनेटर की नियुक्ति एवं उनके मानदेय को स्वीकृत प्रदान की गयी उक्त निर्णय के आलोक में मुख्य परीक्षा–2022 से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु कोआर्डिनेटर के मानदेय की स्वीकृत पर विचार।

(ङ.) **परीक्षा सत्र 2021–22 में हुयी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की कुछ उत्तर कुंजियों को प्रश्निकों के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों द्वारा पुनः निर्मित कराया गया, जिस हेतु उक्त शिक्षकों द्वारा पारिश्रमिक की मॉग की जा रही है। उक्त पारिश्रमिक निर्धारण एवं भुगतान के सम्बन्ध में विचार।**

निर्णयः

समिति द्वारा सर्वसम्मति से मद संख्या 2022.09.27 के बिन्दु (क) एवं (ख) पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही बिन्दु (ग), (घ) एवं (ङ.) हेतु निम्न गठित समिति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत कर दिया गयाः–

1. वित्त अधिकारी, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
3. निदेशक, सी0डी0सी0, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।

मद सं0–2022.09.28

छात्र सहायता प्रकोष्ठ द्वारा फेसलेस स्टूडेन्स सर्विसेस के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को प्रदान की जा रही सेवाओं एवं भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं के सम्बन्ध में आदेशानुसार अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन दिशा/निर्देश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

छात्र सहायता प्रकोष्ठ द्वारा फेसलेस स्टूडेन्स सर्विसेस के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को प्रदान की जा रही सेवाओं एवं भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं के सम्बन्ध में आदेशानुसार अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन दिशा/निर्देश का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.29

सत्र 2021–22 की सम्पन्न परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ छात्र/छात्राओं द्वारा पुराने कोर्स के स्थान पर नये कोर्स तथा नये कोर्स के स्थान पर पुराने कोर्स के प्रश्नपत्रों से परीक्षा दे दी गयी है, जिससे उनके पेपर कोड में भिन्नता होने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है।

निर्णयः

सत्र 2021–22 की सम्पन्न परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ छात्र/छात्राओं द्वारा पुराने कोर्स के स्थान पर नये कोर्स तथा नये कोर्स के स्थान पर पुराने कोर्स के प्रश्नपत्रों से परीक्षा दे दी गयी है, जिससे उनके पेपर कोड में भिन्नता होने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है, के सम्बन्ध में ऐसे परीक्षार्थियों को औसत अंक प्रदान करते हुये उनका परीक्षाफल घोषित किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.30

रूपरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर नगर (KN57) पर सत्र 2021–22 की वार्षिक परीक्षा में सामूहिक नकल के सम्बन्ध में यू0एफ0एम0 समिति के द्वारा रू0 200000/– (दो लाख मात्र) अर्थ दण्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक–06.08.2022 में महाविद्यालय को निराधार उत्पीड़न से रक्षा एवं अर्थदण्ड से मुक्त करने के अनुरोध पर विचार।

निर्णयः

रूपरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर नगर (KN57) पर सत्र 2021–22 की वार्षिक परीक्षा में सामूहिक नकल के सम्बन्ध में यू0एफ0एम0 समिति के द्वारा रू0 200000/– (दो लाख मात्र) अर्थ दण्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक–06.08.2022 में महाविद्यालय को निराधार उत्पीड़न से रक्षा एवं अर्थदण्ड से मुक्त करने के अनुरोध पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से रू0 50,000/– (पचास हजार मात्र) अर्थ दण्ड लगाये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.31

छात्र देबनाथ यादव बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष 2022 रोल नं0–300028, के0ए0डी0 कालेज, इलाहाबाद के तृतीय वर्ष की रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र दी गयी बैक पेपर परीक्षा के अंकों के सम्बन्ध पर विचार।

निर्णयः

कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक–12.05.2022 जो सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षा समिति को अग्रसारित है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि छात्र देवनाथ यादव पुत्र श्री सालिक राम यादव ने वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एस–सी0 की परीक्षा के0ए0डी0 कालेज, इलाहाबाद से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। बी0एस–सी0 (तृतीय वर्ष–300028) की परीक्षा अनुत्तीर्ण होने के कारण छात्र ने बैक पेपर की परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित होकर उत्तीर्ण की अंकतालिका भी प्राप्त कर लिया था तथा जिसका ऑनलाइन वर्ष 2007 में अस्थायी प्रमाण पत्र भी विश्वविद्यालय से निर्गत किया गया था भी टिप्पणी के साथ संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि गोपनीय सारणीयन पंजिका के अनुसार छात्र को बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष 2002 में रसायन विज्ञान में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में 13,05,13 कुल 31 अंक व वनस्पति विज्ञान में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र में 25,14,06 एवं 19 अर्थात कुल 64 अंक प्राप्त हुये, जिसका लिखित परीक्षा में सम्पूर्ण योग 95 / 300 होता है। (गोपनीय चार्ट की छायाप्रति संलग्न)

विश्वविद्यालय से प्राप्त बी0एस–सी0 उत्तीर्ण की अंकतालिका के आधार पर छात्र ने बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में चयनित होकर चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बी0एड0 की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी तथा अध्यापक के रूप में बी0एस–सी0 एवं बी0एड0 की अंकतालिकाओं के आधार पर उसका चयन भी हो गया था। छात्र द्वारा बी0एस–सी0 उपाधि के लिये आवेदन किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा बैकपेपर की परीक्षा में अर्ह न होने के कारण उपाधि का फार्म वापस कर दिया। टिप्पणी में यह भी उल्लिखित है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक–21.01.2021 के मद संख्या–13.05 में समान प्रकृति के प्रकरण में बी0एस–सी0 तृतीय 2005 के छात्र शिवनन्दन को छात्रहित में सम्बन्धित प्रश्नपत्र में बैक पेपर की परीक्षा दिये जाने के उपरान्त बैक पेपर परीक्षा के अंकों का अनुमन्य करते हुये प्राप्त अंकों को सारणीयन पंजिकाओं में अंकित कर तद्नुसार परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश प्रदान किये हैं।

अतः छात्र देवनाथ यादव पुत्र श्री सालिक राम यादव के बी0एस–सी0 (तृतीय वर्ष–300028) की परीक्षा अनुत्तीर्ण होने के कारण छात्र द्वारा बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होकर प्राप्त अंकों को गोपनीय चार्ट में अंकित करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.32

विश्वविद्यालय आगामी प्रस्तावित परीक्षा सम्बन्धी निम्न प्रकरण पर विचार।

(क) प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचाने की प्रक्रिया पर विचार।

वर्तमान में समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्र गोपनीय मुद्रण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचाये जाते हैं, जिसके स्थान पर प्रश्नपत्रों की Encrypted File परीक्षा केन्द्र पर भेजे जाने तदोपरान्त निर्धारित एजेंसी के द्वारा परीक्षा केन्द्र पर ही तय समय में प्रश्नपत्र मुद्रित कर उपलब्ध कराने पर विचार।

निर्णयः

वर्तमान में समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्र गोपनीय मुद्रण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचाये जाते हैं, जिसके स्थान पर प्रश्नपत्रों की Encrypted File परीक्षा केन्द्र पर भेजे जाने तदोपरान्त निर्धारित एजेंसी के द्वारा परीक्षा केन्द्र पर ही तय समय में प्रश्नपत्र मुद्रित कर उपलब्ध कराने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को डिजिटल अंकपत्र उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

निर्णयः

आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को डिजिटल अंकपत्र उपलब्ध कराये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.33

विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की सम्पन्न मौखिक/प्रायोगिक सम्पन्न परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय के आन्तरिक परीक्षक उपलब्ध नही थे, जिससे उस सम्बन्धित विषय के सम्बन्धित महाविद्यालय में कक्षायें भी संचालित नहीं हुयी होंगी। ऐसे महाविद्यालयों के सम्बन्धित छात्रों को आन्तरिक अंक प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णयः

विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की सम्पन्न मौखिक/प्रायोगिक सम्पन्न परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय के आन्तरिक परीक्षक उपलब्ध नही थे, जिससे उस सम्बन्धित विषय के सम्बन्धित महाविद्यालय में कक्षायें भी संचालित नहीं हुयी होंगी। अतः छात्रहित में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित ऐसे विषयों के परीक्षार्थियों के प्रयोगात्मक/आन्तरिक अंक के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

1. जिन महाविद्यालयों में सम्बन्धित विषयों के नियमानुसार आन्तरिक परीक्षक उपलब्ध हैं तथा सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराकर अंक उपलब्ध कराये गये हैं, उसी के अनुरूप परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा तथा जिन महाविद्यालयों में सम्बन्धित विषयों के नियमानुसार आन्तरिक परीक्षक उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों को सम्बन्धित विषय के प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्बन्धित विषय की लिखित परीक्षा के औसत अंक जो कि अधिकतम 60 प्रतिशत एवं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी अन्य सभी प्रकरणों में परीक्षार्थी को छात्रहित में परीक्षार्थियों को सम्बन्धित विषय के प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्बन्धित विषय की लिखित परीक्षा के औसत अंक जो कि अधिकतम 60 प्रतिशत एवं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।
2. जिन महाविद्यालयों में सम्बन्धित विषयों के नियमानुसार आन्तरिक परीक्षक उपलब्ध हैं तथा सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा आन्तरिक अंक उपलब्ध कराये गये हैं, उसी के अनुरूप परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा तथा जिन महाविद्यालयों में सम्बन्धित विषयों के नियमानुसार आन्तरिक परीक्षक उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों को सम्बन्धित विषय की लिखित परीक्षा के औसत अंक जो कि अधिकतम 60 प्रतिशत एवं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मा0 कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में ऐसे विषय जिसके शिक्षक नियमानुसार नहीं है वहॉं सम्बन्धित विषय में छात्र छात्राओं का प्रवेश प्रतिबन्धित करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही–कुलसचिव कार्या0

मद सं0–2022.09.34

विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की सम्पन्न परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के अंकों में मॉडरेशन का अनुमोदन।

निर्णयः

विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की सम्पन्न परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के अंकों में मॉडरेशन का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मद सं0–2022.09.35

एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत प्रायोगिक/ मौखिकी/डिजर्टेशन एवं प्रस्तावित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कार्यायल ज्ञाप संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./ COE /3144 / 2022 ,दिनांक–18.08.2022 तथा सी. एस.जे.एम.वि.वि./COE/3145/2022, दिनांक– 18.08.2022 का अनुमोदन।

निर्णयः

एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत प्रायोगिक/ मौखिकी/डिजर्टेशन एवं प्रस्तावित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कार्यायल ज्ञाप संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./ COE /3144 / 2022 ,दिनांक–18.08.2022 तथा सी. एस.जे.एम.वि.वि./COE/3145/2022, दिनांक– 18.08.2022 का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः–

मद सं0–2022.09.01

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष कूटा ने श्री मो0 आरिफ के पत्र दिनांक–20.07.2022 को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किय गया जो श्री मो0 आरिफ के बी0ए0 प्रथम (1988–89), द्वितीय (1989–90) एवं तृतीय (1990–91) वर्ष के अंकपत्र एवं उपाधि का सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

निर्णयः

उपरोक्त प्रस्ताव पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित समिति का गठन कियाः–

1. डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, कूटा अध्यक्ष, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
2. डॉ0 आर0के0 द्विवेदी, निदेशक, सी0डी0सी0, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
3. डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
4. डॉ0 शमशुद्दीन, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त समिति से यह अपेक्षा की गयी है कि प्रकरण पर अपनी आख्या तीन कार्यदिवसों में उपलब्ध करायें।

मद सं0–2022.09.02

डॉ0 राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक, सी0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा में महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण अंक भरे गये हैं, जिसके सन्दर्भ में सुधार हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा निम्नवत कमेटी का गठन किया गया है–

(क) डॉ0 राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक, सी0डी0सी0, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।

(ख) श्री दिनेश कुमार मौय, सहायक कुलसचिव, सी0एस0जे0एम0वि0, कानपुर।

(ग) निदेशक सी0डी0सी0 द्वारा नामित किसी राजकीय/सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या।

जिसके सम्बन्ध में निदेशक, सी0डी0सी0 द्वारा डॉ0 मुकेश कुमार सिंह, प्राचार्य, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर को नामित किया गया तथा साथ ही उक्त कमेटी द्वारा सुझाव गये संशोधन हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा प्रति छात्र/छात्रा रू0 500/– शुल्क निर्धारित किया गया, के सम्बन्ध में अनुमोदन।

निर्णयः

उपरोक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा कमेटी का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रयोगिक परीक्षा में महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर त्रुटि पूर्ण अंक भरे जाने के सम्बन्ध में प्रति छात्र/छात्रा रू0 500/– एवं महाविद्यालय पर अधिकतम रू0 20000/– दण्ड शुल्क निर्धारित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष